फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शंकर बनाम सत्यनारायण (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 15 सन 2023

[दि]नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-1-23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14-2-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
14/2/23	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। [illegible] / पदरिक्त है। अत: पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	
14/3/23	पत्रावली पेश हुई, [illegible] द्वारा न्यायिक [illegible] रखने से पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो।	
28/3/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:44:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 15/23 प्रा०पत्र

1– श्री शंकर s/o श्री गंगाराम ब्राह्मण निवासी- बालानगर तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

वनाम

1– श्री सत्यनारायण s/o श्री हजारी पुरोहित निवासी- बालानगर तहसील- मा.उक्त (वगैरा)
(मुताबिक प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......बालानगर......पटवार हल्का......भगवानपुरा......तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 3529,3570,3716,3899 कुल किता......04......रकबा......1.5429......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......16-01-23......को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......बालानगर......पटवार हल्का......भगवानपुरा......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......3529, 3570, 3716, 3899 कुल किता......04......रकबा......1.5429......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक......भगवानपुरा को......600/-......रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:44:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा